

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०,
गाजीपुर

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

विषय:-नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

संदर्भ:-मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर के पत्रांक 29/आ०लि०/2024 Dated 11-09-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के क्रम में के०डी०पब्लिक स्कूल, मुहम्मदपुर कुसुम, महडौर, कसिमाबाद, गाजीपुर के भवन का दिनांक 15-09-2024 को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। “उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005” में निहित प्राविधानों के अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड से सम्बन्धित कुल 22 बिन्दुओं की जाँच कर जाँच आख्या संलग्न कर आक्षयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

पत्रांक २०४८/२५०

अधिकारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गाजीपुर
दिनांक १६/१०/२०२४

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आक्षयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर।
- ✓2- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के०डी०पब्लिक स्कूल, मुहम्मदपुर कुसुम, महडौर, कसिमाबाद, गाजीपुर

AK
अधिकारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गाजीपुर

विद्यालय का नाम:-केंडी०पब्लिक स्कूल, मुहम्मदपुर कुसुम, महडौर, कसिमाबाद, गाजीपुर।

क्रम सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	जाँच आव्याह
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्चर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मीटर) है ?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	3.00 मीटर
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामाग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बने हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउझीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं उंचाई 4.50 मी० है ?	4.54x6.0 MTR
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	है, नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दरवाजे हैं ?	सारे कमरों में दो दरवाजा है
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है ?	है
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक हैं तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	दो स्टेयर
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मी०मी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	है
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	है/नहीं
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एलाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	है
21	क्या विद्यालय के छात्रों/ अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	है

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि�०वि०,
गाजीपुर

